P-1 R.M.M. Law College - Saharsa

Manvendra Mandal Subject Contract-1
part time lecturer part — 1

संविदा के प्रकार (kinds of contract)

आंग्ल विधि के अन्तर्गत संविदाएँ मुख्यतया दो प्रकार की होती है। प्रथम - अभिलेख द्वारा की गई संविदा (contract of speciality) द्वितीय-(simple contract) परन्तु भारतीय विधि में संविदाएँ निम्नलिखित प्रकार की होती है-

(1) प्रत्यक्ष संविदा (Express contract)
(2) अप्रत्यक्ष संविदा (Implied contract)
(3) प्रलक्षित संविदा- (constructive contract)
(4) अप्रवर्तनीय संविदा (unenforceable contract)
(5) शुन्य संविदा (void contract)
(6) आरम्भतः शुन्य संविदा (contract void Ab initio)
(7) शुन्यकरणीय संविदा (voidable contract)
(8) अवैध्य संविदा (Illegal contract)
(9) निष्पादित संविदा (Executed contract)
(10) निष्पाद्य संविदा (Executory contract)
(11) एक पक्षीय या द्विपक्षीय संविदा (unilateral or Bilateral contract)
(12) समाश्रित संविदा (contingent contract)
(13) बाजीयुक्त संविदा (wagering contract)
(14) Quasi contract (संविदा कल्प)

(1) प्रत्यक्ष संविदा (Express contract) → जब संविदा की शर्तें लिखित या मौखिक होती है या जिसे स्पष्ट शब्दों में व्यक्त किया गया हो तो उसे प्रत्यक्ष संविदा कहते हैं।

(2) अप्रत्यक्ष या विवक्षित संविदा (Implied contract) - जब संविदा की शर्तें शब्दों अलावे पक्षकारों के आचरण से होती है, उसे अप्रत्यक्ष संविदा कहते हैं। जैसे कोई व्यक्ति टैक्सी या बस पर बैठता है तो अप्रत्यक्ष रूप से किराया देना स्वीकार करता है।

(3) प्रलक्षित संविदा (constructive contract) — प्रलक्षित संविदा से तात्पर्य ऐसी संविदा से है जहाँ पक्षकारों का आशय संविदा न करना हो, लेकिन विधि के द्वारा संविदा

Scanned with CamScanner

P-2 : संविदा के प्रकार (Kinds of Contract)

उन पर आरोपित हो जाय, जिसके अन्तर्गत पक्षकार उसी प्रकार दायित्वाधीन होते हैं जैसे संविदा के अन्तर्गत होते हैं, उसे प्रलक्षित संविदा कहते हैं। ऐसी संविदा का सृजन प्रस्थापना, प्रतिग्रहण, पक्षकारों की स्वतंत्र सहमति इत्यादि के आधार पर नहीं किया जाता है, लेकिन कुछ परिस्थितियों के अन्तर्गत विधि द्वारा पक्षकारों के मध्य संविदा मान ली जाती है। जैसे खोयी हुई वस्तु को प्राप्त करने वाले व्यक्ति का यह दायित्व होता है कि वह उसके वास्तविक स्वामी को उसी प्रकार लौटाये जैसे की वस्तु संविदा के अन्तर्गत दी गई हो।

(4) अप्रवर्तनीय संविदा (Unenforceable Contract)— जब कोई मान्य संविदा कुछ तकनीकी त्रुटियों के कारण लागू नहीं करायी जा सकती है तथा पक्षकार उसके आधार पर वाद भी प्रस्तुत नहीं कर सकता, तो उसे unenforceable Contract कहते हैं, जैसे संलेख या वचन पत्र पर उचित मूल्य से कम का टिकट लगाना।

(5) शून्य संविदा (Void Contract)— विधि द्वारा प्रवर्तनीय करार ही संविदा होती है। यदि कोई करार विधि द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है तो वह शून्य संविदा होगी। संविदा अधिनियम की धारा 2(ज) में इसे इस प्रकार परिभाषित किया गया है— "शून्य संविदा वह है जिसका विधि द्वारा प्रवर्तनीय होना समाप्त हो जाता है।" परिभाषा से स्पष्ट होता है कि जब तक इसका प्रवर्तनीय होना समाप्त नहीं होता है, तब तक ऐसी संविदा मान्य रहती है, परन्तु ज्योंहि इसका प्रवर्तनीय होना समाप्त हो जाता है उस समय संविदा शून्य हो जाती है। ऐसी संविदा धारा 56 में उपबन्धित है। इसके अतिरिक्त धारा 36 में भी उपबन्धित है कि यदि कोई करार अनिश्चित घटना पर आधारित है, तो उस घटना के असंभव हो जाने पर करार शून्य होता है।

Scanned with CamScanner

2-3 संविदा के प्रकार (Kinds of Contract)

(6) आरम्भतः शून्य संविदा (Contract void Ab initio) — यदि कोई संविदा आरम्भ से ही शून्य है तो आरम्भतः शून्य संविदा कहते हैं। जैसे- अवयस्क के द्वारा की गई संविदा करार की अवस्था से नहीं गुजरती।

(7) शून्यकरणीय संविदा (voidable Contract) — संविदा अधिनियम की धारा 2(झ) के अनुसार - "कोई करार जो कि उसके पक्षकारों में से एक या अधिक के विकल्प पर प्रवर्तनीय है किन्तु दूसरे पक्षकारों के विकल्प पर परिवर्तनीय नहीं है, शून्यकरणीय संविदा है।" परिभाषा से स्पष्ट है कि शून्यकरणीय संविदा एक ऐसी दोष अथवा छिद्रयुक्त संविदा होती है, जिसका लाभ यदि एक पक्षकार चाहे तो उठा सकता है, लेकिन दूसरा नहीं। सामान्यतः प्रपीड़न, अयम्यक असर, कपट, दुर्व्यपदेशन या भूल के अधीन की गई संविदायें शून्यकरणीय होती हैं। उदाहरणार्थ - अ प्रपीड़न अथवा कपट द्वारा ब को अ के साथ संविदा करने के लिए उत्प्रेरित करता है। अ ऐसी संविदा का अनुपालन करने के लिए आबद्ध है, लेकिन ब नहीं। ब अपने विकल्प पर उसका परिवर्तन रोक सकता है।

(8) अवैध संविदा (Illegal Contract) — जब किसी संविदा का उद्देश्य या प्रतिफल विधि विरुद्ध होता है तो उसे अवैध संविदा कहा जाता है। प्रत्येक अवैध संविदा शून्य संविदा होती है + इसलिए इसका परिवर्तन नहीं कराया जा सकता है। ऐसा उद्देश्य जो -

(1) विधि द्वारा निषिद्ध हो; (2) अनैतिक हो; (3) लोकनीति के विरुद्ध हो, (4) कपट पूर्ण हो (5) किसी अन्य व्यक्ति के शरीर या सम्पत्ति को क्षतिकारित करने वाला हो, ऐसी संविदायें अवैध होती हैं।

(9) निष्पादित संविदा (executed Contract) — प्रत्येक संविदा का मुख्य उद्देश्य संविदा का पालन या प्रतिज्ञा का पालन कराना होता है, जिसके लिए पक्षकार बाध्य होते हैं। यदि किसी संविदा के अन्तर्गत प्रतिज्ञाओं का पूर्णतया पालन कर दिया गया है तो उसे निष्पादित संविदा कहते हैं।

Scanned with CamScanner

P-4 surety का दायित्व से उन्मोचन
(Discharge of surety from liability)

के सम्बन्ध में उपबन्ध करती है। यदि creditor कोई ऐसा कार्य करता है जो surety के अधिकारों से असंगत है या कोई ऐसा कार्य नहीं करता है जिसको करना surety के प्रति उसके कर्तव्य के कारण अपेक्षित है और इसके कारण principal debtor के विरुद्ध surety के परिणामिक उपचार (Eventual remedy) को क्षति हो तो surety दायित्व से मुक्त हो जाता है।

यदि लेनदार के असंगत कार्य के कारण surety के परिणामिक उपचार को क्षति नहीं पहुँचती है तो surety दायित्व से मुक्त नहीं होगा।

एम० आर० चक्रपानी अयंगर बनाम केनरा बैंक के वाद में न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया है कि यदि गिरवी रखी गई सम्पति, principal debtor द्वारा बेची जाती है और surety उसकी सूचना creditor को दे देता है और ऋण दाता उस सम्पति को अवरुद्ध करने के लिए कोई कदम नहीं उठाता है या अपराधिक न्यायालय में principal debtor के विरुद्ध कोई कारवाई नहीं करता है तो surety दायित्व से उन्मोचित हो जायगा।

Scanned with CamScanner